अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F26(4)(27)बजट घोषणा 157/IEC/ICDS/17/ 1041…1-651 जयपुर दिनांक : 11-6-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषयः–आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्य प्रदर्शन के आधार पर मासिक प्रोत्साहन राशि के भुगतान की सूचना भिजवाने बाबत।

प्रसंगः–विभागीय पत्र क्रमांक 166376–679 दिनांक 30.10.2017, 197164–196 दिनांक 19.12.2017, 7657–89 दिनांक 09.01.2018, 18416–444 दिनांक 30.01.18 एवं 89931–63 दिनांक 21.05.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया था। **यह प्रोत्साहन योजना तीन माह (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर) के लिए ही लागू की गई थी।** इसकी समीक्षा के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालयों से तीन माह में कितनी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन योजना का निर्धारित शर्तों के अनुरूप भुगतान किया गया है, की सूचना एकत्रित कर एकजाई सूचना अविलम्ब निम्न प्रारूप (अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर माह हेतु अलग–अलग प्रारूप) में सूचना प्रेषित कराने हेतु लिखा गया था किन्तु चाही गई सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है :–

जिले का नाम .... **माह....................**

क्र. सं.	परियोजना	शाला पूर्व शिक्षा		वृद्धि निगरानी व कुपोषण प्रबन्धन		प्रोत्साहन योजना में भुगतान की गई राशि
		90 प्रतिशत एवं अधिक उपलब्धि प्राप्त प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं की संख्या	75 प्रतिशत से अधिक एवं 90 प्रतिशत से कम उपलब्धि प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं की संख्या	90 प्रतिशत एवं अधिक उपलब्धि प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं की संख्या	75 प्रतिशत से अधिक एवं 90 प्रतिशत से कम उपलब्धि प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं की संख्या	

उक्त सूचना निर्धारित प्रारूप में दिनांक 12.06.2018 तक आवश्यक रूप से विभागीय ई–मेल आईडी ecerajasthan2017@gmail.com & adiec.wcd@rajasthan.gov.in पर अविलम्ब प्रेषित करावें। उक्त सूचना में विलम्ब होने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उक्त सूचना निर्धारित दिनांक तक प्रेषित नहीं किये जाने पर आपके जिले की सूचना शून्य समझी जायेगी।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F26(4)(27)बजट घोषणा 157/IEC/ICDS/17/ 1046…-765 जयपुर दिनांक : 11-6-18

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रोत्साहन योजना की सूचना निर्धारित प्रारूप (अक्टूबर व नवम्बर माह हेतु अलग–अलग) में तैयार कर संबंधित उप निदेशक कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करावें।
3. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करनें हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर